बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग–१ कार्यवाही प्रश्नोत्तर।)

मंगलवार, दिनांक ७ जुलाई, १९८१ ई०।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या	
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या–११३, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९५३, ९५४, ९५६, ९५७, ९५८, ९५९, ९६०, १०३९, १०४६ एवं १०४७	१–२८
परिशिष्ट–(प्रश्नों के लिखित उत्तर)	२९–८३
दैनिक निबन्ध	८४–८६

टिप्पणी—किन्हीं माननीय-मंत्री एवं सदस्यों ने अपने भाषण में संशोधन नहीं किये।

२१।२४ए ल० ए०

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

मंगलवार, दिनांक ७ जुलाई, १९८१ ई०।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण। सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में मंगलवार, दिनांक ७ जुलाई, १९८१ ई०। को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष, श्री राधानन्दन झा के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

प्रश्नोत्तर काल

तारांकित प्रश्नोत्तर:

तारांकित प्रश्न संख्या १०९ के सम्बन्ध में चर्चायें

श्री रामदेव राय (राज्य-मंत्री)—समय चाहिए।

अध्यक्ष—गत बार मैंने प्रश्न संख्या-१०९ को पुकारा था। आपने कहा, अध्यक्ष महोदय, इसके लिये समय चाहिए। श्री रामदेव वर्मा ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न को देखा जाये इसमें समय लेने की क्या जरूरत है? मैंने कहा—माननीय मंत्री, ८ जून, १९८१ को हमारे यहां से आपके यहां प्रश्न गया है और समस्तीपुर जिलान्तर्गत छत्रधारी उच्च विद्यालय, दलसिंहसराय के ग्रामीण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों के सम्बन्ध में यह प्रश्न है। इसका तो जवाब सेक्रेटेरियट से मिल सकता था। इसलिए अगली तिथि को इसका जबाब निश्चित रूप से आप दीजिये। इस पर आपने कहा ठीक है।

श्री रामदेव राय (राज्य-मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैंने आदमी भेजा था। उस दिन प्रधानाध्यापक उपस्थित नहीं थे इसलिए कागज उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिए समय दिया जाये, अगली तिथि को मैं अवश्य जबाब दूंगा।

श्री रामाश्रय राय—अध्यक्ष महोदय, इसका जबाब तो सचिवालय से आना है।

श्री रामलखन सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि मैंने स्पेशल मेसेन्जर भेजा और प्रधानाध्यापक उपलब्ध नहीं हुए तो प्रधानाध्यापक उस दिन छुट्टी में थ या यों ही छुट्टी मना रहे थे?

श्री जनार्दन तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ओफ ओर्डर है। आपके निर्देश के पश्चात् भी सरकारी बेंच से प्रश्नों का लिखित जवाब नहीं आया है। हमलोगों को पूरक प्रश्न पूछने में काफी दिक्कत होती है। आप न सरकारी बेंच को डांटते हैं और न ऐक्शन लेते हैं। यह निर्लज्ज सरकार कुछ नहीं करती है। इस बार आपकी व्यवस्था चाहिए कि लिखित उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? इस पर मैं आपका नियमन चाहता हूं।

अध्यक्ष—मेरा नियमन हो चुका।

श्री जनार्दन तिवारी—क्या हुआ?

अध्यक्ष—मैंने नियमन दिया कि अगली तिथि को जवाब जरूर दीजिये।

श्री रामलखन सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन आवर है जिस पर माननीय मंत्रियों को और सदन के सारे माननीय सदस्यों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए. बाकी जो होता है वह ठीक है और इसका महत्व दिनों-दिन समाप्त हो रहा है और इसको पूर्णरूप से आप बचा सकते हैं। आपको याद होगा, आप पुराने सदस्य रहे हैं, माननीय श्री सुधांशु जी और माननीय श्री हरिनाथ जी का नियमन हो चुका है कि अगर प्रथम दिन क्वेश्चन का जवाब नहीं आ सका तो ठीक है समय लीजिये। लेकिन माननीय मंत्री को प्रथम दिन ही एक्सप्लेनेशन देना होता है।

श्री रामाश्रय सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ओफ आर्डर है कि विधान-सभा के कार्य संचालन नियमावली में दिया हुआ है कि प्रति दिन २० मिनट अल्प-सूचित प्रश्न के लिये रहेगा और ४० मिनट अतारांकित और तारांकित के लिये, लेकिन अल्प-सूचित प्रश्न तो रहता ही नहीं है, फिर भी तारांकित प्रश्नों का लिखित जवाब सरकार की ओर से नहीं रहता है, यह प्रमाणित करता है कि सरकार जवाब देने से कतराती है। इसलिये अध्यक्ष महोदय आप संरक्षण नहीं देंगे तो कौन देगा?

तारांकित प्रश्न संख्या ११० के सम्बन्ध में चर्चायें

अध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। तारांकित प्रश्न संख्या ११० इसलिए स्थगित हुआ था कि डा० रामराज सिंह ने प्रश्न पूछा था पिछले सत्र में कि शिक्षा विभाग के वयस्क शिक्षा निदेशालय ने १९८०-८१ वर्ष में १९६ पृष्ठों के